

दखलत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

कार्ड 00आर0 केश सं0- 192 / 16-17

राजीव रंजन भगत बनाम् बिहारीलाल टेबड़ीवाल वगै0

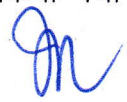
112

-: आदेश :-

वर्तमान वाद आवेदक राजीव रंजन भगत, पे0-स्व0 शिवनाथ भगत, सा0-महुआरा, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-महागामा नं0-700, जमाबंदी नं0-200, दाग नं0-28/1235, रकवा-07-19-01 धूर भूमि से विपक्षीगण बिहारीलाल टेबड़ीवाल व सुन्दर राम मारवाड़ी, पे0-रामावतार राम टेबड़ीवाल, सा0-महागामा, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि आवेदक को पॉवर ऑफ एटर्नी के माध्यम से प्राप्त है, जिसके तहत आवेदक प्रासंगिक भूमि पर दखलदार हैं। प्रासंगिक भूमि जमाबंदी रैयत द्वारिका प्र0 ढनढनियां वगै0 जो दखल कॉलम में भी है, के वंशज निगम कु0 ढनढनियां वगै0 के पंजीकृत पॉवर ऑफ एटर्नीधारक है। विपक्षीगण पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं, जिनका प्रासंगिक भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रासंगिक भूमि पर पूर्व में क्रि0मि0 केस नं0-91/2017 तथा माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा WP(Cr) नं0-176/2017 के द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रासंगिक भूमि के आंशिक भाग को असामाजिक तत्वों के मदद से बेच दिया गया है तथा मकान निर्माण भी किया गया है। विपक्षीगण जबरन प्रासंगिक भूमि हड़पना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा एवं पॉवर ऑफ एटर्नी की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

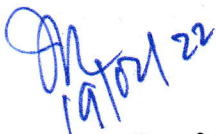
विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। प्रासंगिक भूमि गत सर्वे खतियान में कामत मालिक के नाम से अंकित है। आवेदक पॉवर ऑफ एटर्नी का गलत फायदा उठाकर लोगों से रुपये ऐठने का काम करते हैं। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का वैधानिक दखल कब्जा है। प्रासंगिक भूमि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमाबंदी रैयत पुरुषोत्तम दास, पे0-स्व0 रामावतार राम के नाम से बंदोबस्त किया गया था तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद रेंट फिक्सेशन केस नं0-252/60-61 के द्वारा प्रासंगिक भूमि का लगान धार्य कर पुरुषोत्तम राम वगै0 के नाम से पंजी-2 में दर्ज किया गया है, जिसका लगान रसीद विपक्षीगण के नाम से निर्गत किया जाने लगा तथा इन्ही के द्वारा लगान रसीद कटाया रहा है। हाल के गैर अंतिम पर्चा में विपक्षीगण का नाम प्रश्नगत जमीन के रैयतों के खाता में दर्ज है। साथ ही विपक्षीगण के पूर्वज को सुन्दर जलाशय योजना के नहर निर्माण के लिए दाग नं0-28/1235, रकवा-33डी0, दाग नं0-28, रकवा-24 डी0, कुल 57 डी0 भूमि का मुआवजा प्राप्त हुआ है एवं प्रासंगिक भूमि पर पानी पटवन का लगान विपक्षीगण द्वारा ही अदा किया जा रहा है। प्रासंगिक भूमि से संबंधित रेंट फिक्सेशन केस नं0-252/60-61 द्वारा लगान धार्य उपरांत पंजी-2 में पुरुषोत्तम राम के नाम से संधारित हुआ था। वर्तमान में होल्डिंग नं0-265 में रकवा-10-05-04 पुरुषोत्तम राम के नाम से पंजी-2 में दर्ज है। साक्ष्य के रूप में रेंट रोल से संबंधित फॉर्म एम0 की छाया प्रति, जमींदारी हुकुमनामा की छाया प्रति, मालगुजारी रसीद, म्युटेशन की छाया प्रति, शपथ पत्र की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

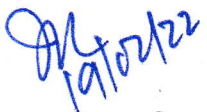


अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक-307/रा0, दिनांक-18.02.2022 व द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा अंतर्गत रकवा- 104-11-05 धूर भूमि गत सर्वे खतियान में कामत मालिकाना के नाम से अंकित है। प्रासंगिक भूमि का किस्म-कामत है। प्रासंगिक भूमि कैफियत कॉलम में दखल बाबू द्वारिका प्र0 ढनढनियां व बाबू वंशीधर ढनढनियां, बाबू केदारनाथ ढनढनियां, बाबू सूरजमोहन ढनढनियां, बाबू ज्वाला प्र0 ढनढनियां, बाबू हिरालाल ढनढनियां, बाबू छोटेलाल ढनढनियां, बाबू पूरनमल ढनढनियां, बाबू ठाकुर प्र0 मारवाड़ी, बाबू खेमराज मारवाड़ी, बाबू हरिप्रसाद मारवाड़ी एवं बाबू चमनराम मारवाड़ी अंकित है। पंजी-2 में होलडिंग सं0-265, कुल रकवा-13-17-09 धूर भूमि पुरुषोत्तम दास, पे0-स्व0 रामावतार दास के नाम से कायम है, जिसमें प्रासंगिक भूमि भी है। विपक्षीगण के वंशजों द्वारा होलडिंग सं0-265, रकवा-13-17-09 धूर भूमि के संबंध में रेंट रोल से संबंधित फॉर्म-एम की छाया प्रति, जमींदारी हुकुमनामा एवं मालगुजारी रसीद की छाया प्रति समर्पित किया गया है। प्रासंगिक भूमि से संबंधित रेंट फिक्सेशन केस नं0-252/1961-62 द्वारा लगान धार्य के उपरांत पंजी-2 संधारित हुआ था। वर्तमान में होलडिंग सं0-265 में रकवा-10-05-04 धूर भूमि पुरुषोत्तम दास के नाम से पंजी-2 में अवशेष है। विपक्षीगण रैयत पुरुषोत्तम दास के भाई थे। विपक्षी बिहारीलाल टिवड़ेवाल की मृत्यु हो चुकी है तथा विपक्षी श्यामसुन्दर दास जीवित हैं। विपक्षी बिहारीलाल टिवड़ेवाल के नाम से होलडिंग सं0-265 अंतर्गत प्रासंगिक भूमि पंजी-2 में कायम है, जो होलडिंग सं0-265 से नामांतरण वाद सं0-30/2006-07 से नामांतरित होकर कायम हुआ है। विपक्षी श्यामसुन्दर दास के नाम से पंजी-2 में कोई होलडिंग कायम नहीं है। आवेदक द्वारा प्रासंगिक भूमि से संबंधित पॉवर ऑफ एटर्नी डीड सं0-157, दिनांक-05.02.2011 प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त पॉवर ऑफ एटर्नी में जमीन की विवरण में सिर्फ मौजा का नाम अंकित है। जमीन की विवरणी यथा जमाबंदी नं0, दाग सं0 अंकित नहीं है।

उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि प्रासंगिक भूमि विपक्षीगण की पैतृक भूमि है, जिसपर विपक्षीगण का वैधानिक हक है। आवेदक का प्रासंगिक भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुए आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।